पत्रांक–3 / नि०में०को०–02 / 2022

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन),बिहार, पटना।

प्रेषक,

अमृता कुमारी
उप निदेशक (नियोजन),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप निदेशक (नियोजन)
सभी सहायक निदेशक (नियोजन)
सभी जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी

विषयः– **निदेशालय नियोजन के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित होने वाले एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेला के समेकित कार्यक्रम के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय नियोजन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित होने वाले एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन मेला का समेकित कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी संबंधित पदाधिकारी, नियोजन मेला के सफल आयोजन हेतु विस्तृत तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निदेशालय द्वारा मेला आयोजन के संबंध में दी गई दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक– **यथोक्त।**

विश्वासभाजन
ह० /
(अमृता कुमारी)
उप निदेशक, (नियोजन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–03 / नि0में0को0–02 / 2022–430 पटना–01, दिनांक–08/4/2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, के आप्त सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सचिव, के आप्त सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

08.04.2025
उप निदेशक, (नियोजन)
बिहार, पटना।

D:\WORK\Anjani Sir\LETTER_2024.Docx (130)

वित्तीय वर्ष 2025–26 में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आयोजित होने वाले जिला स्तरीय एक दिवसीय नियोजन मेला का समेकित प्रस्तावित कार्यक्रमः–

क्र०सं०	जिला का नाम	नियोजन मेला की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	5
1	समस्तीपुर (उजियारपुर)	21.04.2025	एक दिवसीय
2	दरभंगा (बेनीपुर)	22.04.2025	एक दिवसीय
3	सुपौल	24.04.2025	एक दिवसीय
4	मोतिहारी (अरेराज)	25.04.2025	एक दिवसीय
5	मधुबनी (झंझारपुर)	26.04.2025	एक दिवसीय
6	सीतामढ़ी	28.04.2025	एक दिवसीय
7	मुजफ्फरपुर (कांटी)	29.04.2025	एक दिवसीय
8	रोहतास (सासाराम)	30.04.2025	एक दिवसीय
9	कैमुर (मोहनियां)	03.05.2025	एक दिवसीय
10	छपरा (मढ़ौरा)	05.05.2025	एक दिवसीय
11	भागलपुर (नवगछिया)	07.05.2025	एक दिवसीय
12	बाँका	08.05.2025	एक दिवसीय
13	कटिहार	09.05.2025	एक दिवसीय
14	पूर्णियां (धमदाहा)	10.05.2025	एक दिवसीय
15	किशनगंज	13.05.2025	एक दिवसीय
16	शिवहर	14.05.2025	एक दिवसीय
17	नवादा	15.05.2025	एक दिवसीय
18	खगड़िया	16.05.2025	एक दिवसीय
19	बेगुसराय (बरौनी)	17.05.2025	एक दिवसीय
20	नालंदा (राजगीर)	19.05.2025	एक दिवसीय
21	शेखपुरा	20.05.2025	एक दिवसीय
22	बक्सर (डुमरांव)	21.05.2025	एक दिवसीय
23	जमुई	22.05.2025	एक दिवसीय
24	जहानाबाद	23.05.2025	एक दिवसीय
25	अरवल	24.05.2025	एक दिवसीय
26	मुंगेर (जमालपुर)	26.05.2025	एक दिवसीय
27	भोजपुर (बिहियां)	27.05.2025	एक दिवसीय
28	लखीसराय	28.05.2025	एक दिवसीय
29	औरंगाबाद (दाउदनगर)	29.05.2025	एक दिवसीय

30	अररिया (फारबिसगंज)	30.05.2025	एक दिवसीय
31	गया (टेकारी)	31.05.2025	एक दिवसीय
32	सहरसा	02.06.2025	एक दिवसीय
33	मधेपुरा	03.06.2025	एक दिवसीय
34	गोपालगंज (कुचायकोट)	04.06.2025	एक दिवसीय
35	सिवान (महाराजगंज)	05.06.2025	एक दिवसीय
36	वैशाली (महनार)	06.06.2025	एक दिवसीय
37	बेतिया (बगहा)	09.06.2025	एक दिवसीय
38	पटना (बाढ़)	10.06.2025	एक दिवसीय

08.04.2025

उप निदेशक
निदेशालय (नियोजन)
बिहार, पटना

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–2026 में आयोजित होने वाले नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला से संबंधित दिशा–निर्देशः–

1. नियोजन मेला में भाग लेने वाले सभी नियोजक अनिवार्य रूप से N.C.S. (National Career Service) पोर्टल www.ncs.gov.in पर निबंधित होने चाहिए।
2. क्षेत्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय एवं प्रमाणिक नियोजकों की सूची (नियोजक पंजी) तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर नियोजन मेला में भाग लेने हेतु उन्हें आमंत्रित करेंगे।
3. विभिन्न सेक्टरों के अधिक से अधिक प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय नियोजकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें नियोजन मेला में आमंत्रित करेंग। साथ ही नियोजन मेला में स्थानीय नियोजकों को विशेष रूप से आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अभ्यर्थी अपने स्थानीय परिवेश में ही रोज़गार प्राप्त कर सकें।
4. नियोजकों द्वारा विहित प्रपत्र में रिक्ति अधिसूचना प्राप्त करने के पश्चात् सम्यक जांचोपरांत ही नियोजन मेले में पदाधिकारियों द्वारा स्टॉल का आवंटन सुनिश्चित करेंगे।
5. नियोजन मेला में वैसे विश्वसनीय नियोजकों प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित किया जाना चाहिए जो मेला स्थल पर ही अभ्यर्थियों को चयन कर Offer Letter प्रदान करना सुनिश्चित करें।
6. नियोजकों द्वारा प्राप्त सभी रिक्ति अधिसूचना को संबंधित जिला के नियोजन पदाधिकारी N.C.S. (National Career Service) पोर्टल www.ncs.gov.in पर कम से कम एक सप्ताह पूर्व अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे ।
7. नियोजनालय के नियोजक पंजी पर उपलब्ध विश्वसनीय नियोजकों को स्टॉल आवंटित करने में वरीयता प्रदान की जाएगी ।
8. नियोजन मेला में भाग लेने वाले नियोजकों एवं रिक्तियों की पूर्ण विवरणी का उल्लेख नियोजन मेला में लगे बैनर में करना सुनिश्चित करेंगे ।
9. नियोजन मेला में महिलाओं के नियोजन हेतु स्थानीय स्तर पर Receptionist, टेली कॉलर, शिक्षिका, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि क्षेत्रों में नियोजन हेतु स्थानीय नियोजकों से संपर्क कर उन्हें नियोजन मेला में आमंत्रित किया जाय ।
10. नियोजन मेला की समाप्ति के तीन दिनों के अंदर मेला के फलाफल विवरणी यथा भाग लेने वाले नियोजकों का नाम एवं पूरा पता, ई–मेल आई०डी०, दूरभाष संख्या, चयनित उम्मीदवारों की पदवार संख्या विहित प्रपत्र में निदेशालय नियोजन को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
11. नियोजकों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी सूचना का सतत अनुश्रवण करते हुए कार्यरत अभ्यर्थियों की अद्यतन स्थिति से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में निदेशालय नियोजन को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
12. यदि कोई अभ्यर्थी अथवा नियोजक N.C.S. (National Career Service) पोर्टल पर निबंधित नहीं है तो मेला स्थल पर ही उनका निबंधन N.C.S. (National Career Service) पोर्टल www.ncs.gov.in पर कराना सुनिश्चित करेंगे ।
13. नियोजन मेला में किसी भी प्रकार की अनियमितता दृष्टिगोचर होने पर तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कृत कार्रवाई से निदेशालय नियोजन को भी अवगत कराएँगे।
14. नियोजन मेला के आयोजन की तिथि से कम–से–कम 15 दिन पूर्व से ही माईकिंग, पैम्पलेट, बैनर, विज्ञापन, आदि के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे. ताकी अधिक से अधिक संख्या में तकनीकी एवं गैर तकनीकी योग्यताधारी आवेदन नियोजन मेला में भाग ले सके।
15. नियोजन मेला के आयोजन की तिथि से कम–से–कम 10 दिन पूर्व ही नियोजन मेला का उपर्युक्त आयोजन स्थल का निर्धारण कर निदेशालय नियोजन को अवगत कराएँगे।
16. स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा माननीय सांसद, जिला के प्रभारी मंत्री, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर परिषद् के अध्यक्ष, मेयर आदि से व्यक्तिगत रुप से संपर्क कर उन्हें विभाग द्वारा आयोजित नियोजन मेला में उद्घाटनकर्ता / मुख्य अतिथि / विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे।

17. अन्य विभागों के द्वारा चलाये जा रहे स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी मुहैया कराने हेतु PMKVY, DDUGKY मुद्रा बैंक योजना, R-SETI. D.I.C., लीड बैंक आदि के प्रतिनिधि को नियोजन मेला में आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे ।
18. नियोजन मेला स्थल पर विधि–व्यवस्था संधारण, पेयजल टैंकर की व्यवस्था, चलन्त शौचालय, चिकित्सा टीम, एम्बुलेंस तथा अग्निशमन दल हेतु संबंधित कार्यालय को पत्र द्वारा अनुरोध कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।
19. नियोजन मेला के सफल आयोजन एवं संचालन हेतु आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नियोजन मेला स्थल पर प्रतिनियुक्त करने हेतु ससमय आदेशित करेंगे ।
20. नियोजन मेला में NCS कार्यक्रम, बैंक मुद्रा योजना, बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा क्रियान्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी Video Clip, Audio Clip आदि के माध्यम से प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे ।
21. नियोजन मेला का विडियोग्राफी सुनिश्चित करेंगे ।
22. नियोजन मेला में सम्मिलित अभ्यर्थियों एवं नियोजकों से नियोजन मेला में सुधार से संबंधित फीडबैक प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करेंगे ।
23. आई०टी०आई० तथा अन्य संस्थानों के प्राचार्य से संपर्क कर उन्हें नियोजन मेला के आयोजन की सूचना दी जाय ताकि वे नियोजन मेले के आयोजन की सूचना अपने सूचना पट पर प्रदर्शित कर सकें ।
24. नियोजन मेला के आयोजन के संबंध में समय–समय पर निदेशालय नियोजन से प्राप्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
25. मेला मे आये हुए अभ्यार्थियों को आवेदन भरने हेतु मेला परिसर में अलग से टेबल, बेंच, कुर्सी इत्यादि का समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
26. मेला में विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट नियोजकों/अप्रेंटिस/दिव्यागों को नियोजित करने वाले नियोजको को विशेष रूप से नियोजन मेला में आमंत्रित करेंगे।
27. श्रम संसाधन विभाग के सभी अन्य कार्यालयों (श्रम, प्रशिक्षण, कारखाना निरीक्षक) आपस में समन्वय बनाकर नियोजन मेला का सफल आयोजन सुनिश्चित करेगें। साथ ही विभागीय योजनाओं के संबंध में विस्तृत सूचना के साथ मेले में उपस्थित होकर इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई करेंगे। संबंधित कार्यो की सूचना सहायक निदेशक (नियोजन) एवं नियोजन पदाधिकारी अपने स्तर से भी विभाग के अन्य कार्यालयों को देना सुनिश्चित करेंगे।
28. नियोजन मेला का फोलो–अप प्रतिवेदन नियोजन मेला के एक माह के अन्दर निश्चित रूप से निदेशालय नियोजन को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेंगे। (नियोजको के द्वारा अबतक कितने अभ्यार्थियों का नियोजन किया गया कितने अभी कार्यरत है आदि)।
29. नियोजन मेला के लिए निदेशालय से दिये गये राशि के अतरिक्त राशि नही दिया जायेगा, आवंटित राशि से ही नियोजन मेला का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
30. नियोजन मेला के निर्धारित तिथि के परिवर्तन हेतु सम्बंधित कार्यालयों के उप निदेशक (नियोजन) सहायक निदेशक (नियोजन) के अनुमोदन/मंतव्य के साथ उचित कारण बताते हुए सभी पत्रों के साथ पत्र का प्रेषण निदेशालय नियोजन को एक सप्ताह पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।